लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024
संख्या-9/2024/441/तीस-4-2024

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2024

विषयः- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के दैनिक किराये भाड़े की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-133सा0प्र0/2024-330टीआर/20216-24, दिनांक 18.02.2024, पत्र संख्या-47(शा0)सा0प्र0/2024-330टीआर/20216-24, दिनांक 15.03.2024 एवं पत्र संख्या-48(शा0)सा0प्र0/2024-330टीआर/20216-24, दिनांक 16.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के दैनिक किराये भाड़े की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर यथोचित निर्णय लिये जाने का शासन से अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों को निम्नलिखित दरों पर किराये भाड़े की भुगतान करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

गाड़ी का प्रकार		**उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सभा निर्वाचन, 2024 हेतु निर्धारित किराये भाड़े की दरें**
1. बसें सीट क्षमता के आधार पर	15 से 24 सीटर (चालक को छोड़कर)	रू0 1697.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	25 से 34 सीटर (चालक को छोड़कर)	रू0 1912.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	35 से 40 सीटर (चालक को छोड़कर)	रू0 2139.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	41 से 45 सीटर तक (चालक को छोड़कर)	रू0 2213.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	46 सीटर व उससे अधिक (चालक को छोड़कर)	रू0 2510.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
2. माल वाहन भार क्षमता के आधार पर	7500 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	रू0 1572.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	7500 कि0ग्रा0 सकल यान का भार से अधिक 12000 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	रू0 1677.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	12000 कि0ग्रा0 सकल यान का भार से अधिक 16200 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	रू0 1944.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	16200 कि0ग्रा0 सकल यान का भार से अधिक/मल्टीएक्सल	रू0 2140.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
3. ट्रैक्टर	-	रू0 537.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
4. हल्के यात्री वाहन (जीप, टैक्सी, कारें, मैक्सी कैब)	पैट्रोल चलित इंजन क्षमता 1200 सीसी तक एवं	रू0 1264.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	डीजल चलित इंजन क्षमता 1450 सीसी तक (हल्के सवारी वाहन जीप, इंडिका, मार्शल, वैगन आर, मारूति जिप्सी/वैन, मारूति ब्रेजा, सियाज, क्रेटा, होंडा कार, निक्सन, टिगोर आदि)	रू0 1460.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	पैट्रोल चलित इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक एवं	रू0 1264.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	डीजल चलित इंजन क्षमता 1450 सीसी से अधिक हल्के सवारी वाहन (स्कार्पियो, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, एक्सयूवी 500/700, मेराजो, इनोवा क्रिस्टा एवं अन्य एसयूवी 5 सीटरर से अधिक)	रू0 2140.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-702/X-2023-24, दिनांक 28.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति के जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एल0वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2024/441(1)/तीस-4-2024 तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) सी0ए0एस0एस0-3-टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
7. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
8. वित्त(व्यय नियत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

भूपेंद्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in